माननीय न्यायमूर्ति जी.सी.मितल, ए.सी.जे. और एच.एस. बेदी, जे. के समक्ष

लछमन दास, - अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य, - उत्तरदाता

Letters Patent Appeal No. 1179 of 1982

18 अप्रैल, 1991.

छावनी निधि सेवक नियम, 1937- नियम 11- जांच- बर्खास्तगी- प्राकृतिक न्याय- पूर्वाग्रह- छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण में कर्मचारी को ड्यूटी पर सोया हुआ पाया जाना- अधिशासी अधिकारी द्वारा आदेश देना तथा स्वयं घरेलू जांच करना तथा बर्खास्तगी का आदेश पारित करना- न्याय के अनुसार कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए थी जैसा कि नियम 11 द्वारा प्रदान किया गया है, बोर्ड द्वारा ही। नियम 11 के अंतर्गत, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए और हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति बोर्ड में निहित है और इसका प्रयोग कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है- इसलिए, बर्खास्तगी को बुरा माना जाता है- नियम 11 100 रुपये से अधिक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए बोर्ड को दंड प्राधिकारी बनाता है और 100 रुपये से कम मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यकारी अधिकारी को दंड प्राधिकारी बनाता है- अपीलकर्ता रु 80 मासिक वेतन प्राप्त करता है - 'भुगतान' शब्द का प्रयोग नियम 11 के दूसरे परंतुक में किया गया है जिसका मतलब भत्तों को छोड़कर केवल मूल वेतन है।

अभिनिर्धारित किया गया कि कैंटोनमेंट फंड सर्वेंट्स रूल्स के नियम 11 के दूसरे प्रावधान में इस्तेमाल किए गए शब्द 'वेतन' का मतलब केवल देय भत्तों को छोड़कर लिया गया मूल वेतन होगा। इसलिए, यह अभिरनिधारित किया जाना चाहिए कि जहां अपीलकर्ता 80 रुपये प्रति माह का मूल वेतन प्राप्त कर रहा था वहाँ उसका मामला नियम 11 के पहले परंतुक के अंतर्गत आएगा और उसका दंड प्राधिकारी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी होगा।

(पैरा 3)

अभिनरिधारित किया गया कि नियम 11 का पहला परंतुक कहता है कि नियम 11 के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी अधिकारी द्वारा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी नौकर के संबंध में किया जा सकता है। इस नियम के विश्लेषण से पता चलता है कि हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति बोर्ड

में निहित है लेकिन इसका प्रयोग कार्यकारी अधिकारी भी कर सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया तर्क कि केवल कार्यकारी अधिकारी ही मामले में आदेश पारित कर सकता है, इसलिए, प्रथम दृष्टया अस्थिर है। यह निस्संदेह सच है कि किसी क़ानून के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि कोई विशेष कार्रवाई क़ानून में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा की जाए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। इस स्थिति में शायद, किसी पीड़ित पक्ष के लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि कानून में नामित व्यक्ति के खिलाफ जांच नहीं की जानी चाहिए या कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह पक्षपाती है। हालाँकि, जहां क़ानून स्वयं यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई एक व्यक्ति या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, प्राकृतिक न्याय के नियम निश्चित रूप से लागू होंगे और इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रस्तावित कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए जिसके पास वास्तविक या आशंकित पूर्वाग्रह हो।

(पैरा 4,5)

अभिनिर्धारित किया गया कि इस मामले में, कार्यकारी अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, आरोप पत्र जारी किया, जांच की और बर्खास्तगी का आदेश पारित किया, उचित कदम यह होता कि अपीलकर्ता के खिलाफ स्वयं बोर्ड के द्वारा की जानी चाहिए थी, जैसा कि नियमों के नियम 11 द्वारा प्रदान किया गया।

(पैरा 5)

1974 की सिविल रिट याचिका संख्या 4321 में माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिरवाना द्वारा पारित आदेश, दिनांक 28 अप्रैल, 1982 के खिलाफ पत्र पेटेंट के खंड X के तहत पत्र पेटेंट अपील।

सरूप सिंह, याचिकाकर्ता के वकील।

ए मोहंता, प्रतिवादियों के लिए वकील।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी, जे.

_____(

1) वर्तमान पत्र पेटेंट अपील रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

(2) मामले से संबंधित प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं :-

अपीलकर्ता, जो कैंटोनमेंट बोर्ड, जालंधर में चुंगी चपरासी के रूप में कार्यरत था, बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अपने ड्यूटी घंटों के दौरान सोता हुआ पाया गया। चूंकि यह मामला गंभीर कदाचार का था, इसलिए कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वयं जांच का आदेश दिया गया और 14 जुलाई, 1973 को लागू आदेश (अनुलग्नक पी 4) भी उनके द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। कार्यकारी अधिकारी पी4 के आदेश की अपील में छावनी बोर्ड और उसके बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग- इन- चीफ, पश्चिमी कमान, शिमला द्वारा क्रमशः अनुलग्नक पी5 और पी6 के आदेशों के माध्यम से उस आदेश की पुष्टि की गई।

(3) अपीलकर्ता के वकील श्री सरूप सिंह द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि निरीक्षण की तिथि पर अपीलकर्ता द्वारा कर्तव्य के गैर- निष्पादन का एकमात्र गवाह होने के नाते कार्यकारी अधिकारी को स्वयं जांच नहीं करनी चाहिए थी और न ही बर्खास्तगी का आदेश पारित करना चाहिए था। आग्रह किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने मामले में गवाह और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आगे यह आग्रह किया गया है कि छावनी पण्ड सेवक नियम, 1937 के नियम 11 के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि उक्त नियम के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी अधिकारी द्वारा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी सेवक के संबंध में किया जा सकता है, और उक्त नियम के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि एक नौकर के मामले में जो 100 रुपये से अधिक मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है, सेवा से कम करने या हटाने या बर्खास्तगी से संबंधित शक्तियों का प्रयोग केवल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी यही तर्क उठाया गया था कि नियमों के नियम 11 के दूसरे परंतुक में प्रयुक्त शब्द, "वेतन" में संबंधित अधिकारी को देय भत्ते शामिल होंगे। कानूनी स्थिति की जांच करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि वेतन का मतलब केवल मूल वेतन होगा।

यह माना गया है कि, प्रासंगिक तिथि पर, अपीलकर्ता केवल 80 रुपये प्रति माह का मूल वेतन प्राप्त कर रहा था और, इस प्रकार, उसका मामला नियम 11 के पहले परंतुक के अंतर्गत आना चाहिए और दूसरा परंतुक प्रवर्तन में नहीं आएगा। हम मामले के इस पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत हैं।

4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए मुख्य तर्क पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त नियम 11 पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

"उपर्युक्त दो प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल बोर्ड के उन कर्मचारियों के मामले में है जो 100 रुपये से अधिक मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, बोर्ड उन्हें हटाने या बर्खास्तगी का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। अन्य कर्मचारियों के मामले में, यानी, जो प्रति माह 100 रुपये से कम वेतन लेते हैं और जिन्हें कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है, केवल कार्यकारी अधिकारी ही दंड देने वाला प्राधिकारी है। याचिकाकर्ता, जैसा की पहले ही बताया गया है, यह 'कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है और केवल 80 रुपये का मासिक वेतन ले रहा है' श्रेणी में आता है और इस प्रकार केवल कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही निपटा जा सकता है। उस स्थिति में भले ही कार्यकारी अधिकारी ने कार्यभार सौंपा हो याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी और से जांच कराने से याचिकाकर्ता के लिए मामले में सुधार नहीं हुआ होगा क्योंकि दंड देने वाला प्राधिकारी होने के नाते कार्यकारी अधिकारी को अंतिम आदेश पारित करना था।"

हमारा यह मानना है कि इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश का तर्क गलत है। नियम 11 का पहला परंतुक नीचे उद्धृत किया गया है:-

"बशर्ते इस नियम के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी अधिकारी द्वारा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी सेवक के संबंध में किया जा सकता है।"

यह प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि नियम 11 के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने द्वारा नियुक्त किसी भी नौकर के संबंध में किया जा सकता है। इस नियम के विश्लेषण से पता चलता है कि हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति बोर्ड में निहित है लेकिन इसका प्रयोग कार्यकारी अधिकारी भी कर सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया तर्क कि यह केवल कार्यकारी अधिकारी ही है जो मामले में आदेश पारित कर सकता है, इसलिए, प्रथम दृष्टया अस्थिर है।

(5) यह निस्संदेह सच है कि किसी क़ानून मे यह आवश्यक हो सकता है कि कोई विशेष कार्रवाई क़ानून में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा की जाए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। इस स्थिति में शायद, किसी पीड़ित पक्ष के लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि कानून में नामित व्यक्ति के खिलाफ जांच नहीं की जानी चाहिए या कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह पक्षपाती है। हालाँकि, जहाँ क़ानून स्वयं यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई एक व्यक्ति या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, प्राकृतिक न्याय के नियम निश्चित रूप से लागू होंगे और यह आवश्यक होगा कि प्रस्तावित कार्रवाई किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं की

जानी चाहिए जसीके पास वास्तविक या आशंकित पूर्वाग्रह हो। घिसी- पिटी कहावत का उपयोग करते हुए, न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया हुआ दिखना भी चाहिए। वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया. आरोप पत्र जारी किया, जांच की और की बर्खास्तगी का आदेश पी4 पारित किया। हमारा विचार है कि उचित कदम यह होता कि अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई स्वयं बोर्ड द्वारा ही की जानी चाहिए थी जैसा की नियमों के नियम 11 द्वारा दिया गया है।

(6) हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि इस अपील की अनुमति के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है, लेकिन कानूनी स्थिति यह है कि हमारे पास अपीलकर्ता को सभी परिणामी लाभ सेवा में बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है, आदेश अनुलग्नक पी4 और पी6 रद्द कर दिए जाते है और अपीलकर्ता को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया जाता है। अपीलकर्ता बकाया वेतन और अन्य सभी सेवा लाभों का भी हकदार होगा जो उसे प्राप्त होता यदि वह सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया होता। अपीलकर्ता को देय राशि का भुगतान इस आदेश के संचार की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

माननीय न्यायमूर्ति अशोक भान, जे. के समक्ष

लीलू राम,- याचिकाकर्ता

बनाम

सरदारा सिंह और अन्य, प्रतिवादी

Civil Revision No. 479 of 1991.

15 मई 1991.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- 0. 1, नियम 10 पंजाब प्री- एम्प्शन एक्ट, 1913- धारा 28 - प्री- एम्प्शन मुकदमों में कार्यान्वयन- संपत्ति पर कब्जे के लिए दो प्री- एम्प्शनर्स द्वारा दायर किए गए अलग- अलग मुकदमे - ऐसे प्री- एम्प्शनर्स को एक- दूसरे द्वारा उनके संबंधित मुकदमों में पार्टी के रूप में

शामिल नहीं किया - जहां प्री- एम्प्शनर्स एक ही मुकदमे की संपत्ति के संबंध में समान योग्यता रखते हैं, तो उन्हें मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक से अधिक प्री- एम्प्टर दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना अलग- अलग या व्यक्तिगत रूप से समान या अलग- अलग योग्यता रखते हैं, तो अदालतों को कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होने वाले मुकदमों की संख्या से निपटने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में, एक मामले में वादी दूसरे प्री- एम्प्टर द्वारा दायर दूसरे मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है और इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास ऐसे वादी को दूसरे मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुकदमे और इस प्रकार लंबित मुकदमों को और मजबूत करने के साथ- साथ पार्टियों के संबंधित और अलग- अलग दावों पर निर्णय लेते हैं।

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब प्री- एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 28 केवल प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित है। यह प्रदान करके कि प्रत्येक मामले में वादी को प्रत्येक अन्य मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा, सभी प्री- एम्प्टर एक- दूसरे की उपस्थिति में एक ही मुकदमे में अदालत के सामने आने में सक्षम होंगे और अदालतें भी प्रतिद्वंद्वी एम्प्टर्स के दावों पर निर्णय देने मे बेहतर स्थिति में होंगी।

(पैरा 5)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा